परिशिष्ट-1

[17/3/2021]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

प्रश्न सं. [क. 4395]

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **12/03/2020**

वर्ग : 3 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **19/03/2020** विभाग का नाम : **चिकित्सा शिक्षा**

विषय : **व्यापम घोटाले की जांच**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1111**) **श्रीमनोज चावला**

क्या **चिकित्सा शिक्षा मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या व्यापमं ने परीक्षा में गलत तरीके अपनाने पर वर्ष 2008 से 2011 की पीएमटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता समाप्त करने संबंधित आदेश की प्रति विभाग को भेज कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया था यदि हां तो वर्ष वार संख्या क्या थी तथा कितने अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया गया? (ख) शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय में फर्जी भर्ती होने की शिकायत की जांच विभाग करेगा या प्रवेश एंड फीस विनियामक समिति करेगी। व्यापमं घोटाले में फर्जी भर्ती की जांच विभागीय स्तर पर विभाग द्वारा की गई या AFRC द्वारा की गई। क्या शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेश संबंधित समस्त दस्तावेज तथा पत्राचार विभाग से करता है या AFRC करता है। (ग) क्या विभाग पीएमटी के माध्यम से निजी चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती में घोटाले की 2009 से 2013 की जांच कर रहा है यदि नहीं तो क्यों।

Reply By : **MEDICAL EDUCATION** | Digitally Sign Date : **08/02/2021 05:32:04** | Status: **Final**

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : (क) जी हाँ, जानकारी परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है। (ख) शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय में फर्जी भर्ती होने की शिकायत की जांच सी.बी.आई. एवं एस.टी.एफ. द्वारा की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Attachment :

प्रश्न क्रमांक 1111.pdf View File

Verify Digital Signature

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4395 के प्रश्नांश "क" का परिशिष्ट-2

क्र.	संस्था का नाम	प्रवेश वर्ष	व्यापम द्वारा प्रवेश निरस्त / संख्या
1	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।	2004 से 2013	103
2	चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर।	2004 से 2013	79
3	चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर।	2004 से 2013	94
4	चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।	2004 से 2013	41
5	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर।	2004 से 2013	36
6	चिकित्सा महाविद्यालय सागर।	2004 से 2013	31
7	चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा,रतलाम, खण्डवा,दतिया,शिवपुरी,शहडोल,छिंदवाडा।	—	जानकारी निरंक
8	आरडीगार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन।	2004 से 2013	18
9	पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल।	2004 से 2013	40
10	एल0एन0 मेडिकल कॉलेज	2004 से 2013	19
11	चिरायु मेडिकल कॉलेज, भोपाल।	2004 से 2013	06
12	श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर।	2004 से 2013	32
13	इण्डेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर।	2004 से 2013	11

6/3/21

उप संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग